



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67034

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10728 सन् 2026

सुभाष राय उर्फ चिटू

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- अतुल शुक्ला, मनोज कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. मनोज कुमार मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, तथा श्री मनोज गौतम, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक की ओर से, विचारण की लंबितता के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 17 सन् 2025, धाराओं 318(4), 336(3), 338 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत, थाना साइबर क्राइम, जनपद सोनभद्र, में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और किसी छिपे उद्देश्य के कारण इस मामले में मिथ्यारूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त रजत कुमार श्रीवास्तव को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 993 सन् 2026 में दिनांक 03.02.2026 के आदेश द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध वर्तमान मामले के पश्चात् पंजीकृत दो मामलों का आपराधिक इतिहास है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को कथित घटना में हमले की कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई है और आवेदक दिनांक 21.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है, वचन देता है कि यदि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत प्रदान की जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के मद्देनजर विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है।
5. सह-अभियुक्त रजत कुमार श्रीवास्तव को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 993 सन् 2026 में दिनांक 03.02.2026 के आदेश द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों के अनुसार, सह-अभियुक्त रजत कुमार श्रीवास्तव के बारे में कहा जाता है कि उसने प्रथम सूचनादाता को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया और प्रथम सूचनादाता के खाते में एक करोड़ रुपये जमा किए जाने के बारे में कहा जाता है, जो साइबर धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किए गए बताए जाते हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को कथित घटना में हमले की कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई है और आवेदक दिनांक 21.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है।
6. समस्त तथ्यों की समग्रता, प्रकृति एवं अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह जमानत का उपयुक्त मामला प्रतीत होता है। अतः, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
7. आवेदक - **सुभाष राय उर्फ चिट्ठू**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को रुपये 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:
 - (i) आवेदक, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत न किया जा सके, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तारीखों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा: (i) मामले का प्रारंभ, (ii) आरोप निर्धारण, और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत कथन अभिलेखन।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनबंध दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर, जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर, व्यक्तिशः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत प्रार्थना पत्र के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और किसी भी रूप में प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

आर.के.एम